

मध्यप्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय,

क्रमांक 19-01/2013/पी-1/इकतीस  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07.2020

प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
तुलसीनगर, भोपाल।

विषय:- न मांग न जांच प्रमाण पत्र- श्री एम.पी.सत्यार्थी, सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री।

श्री एम.पी.सत्यार्थी, कार्यपालन यंत्री अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दि.31.03.204 को सेवानिवृत्त हुए हैं।

2. श्री एम.पी.सत्यार्थी, कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध लोकायुक्त प्रकरण क.सि/36/42/07-08 दि.15.07.2005 के संबंध में विभाग के पत्र दि. 30.03.2013 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया था, जिसके संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 16-19/2014/पी-2/31 दि. 29.01.2015 द्वारा राशि रूपये 10,099/- (शब्दों में रूपये दस हजार निनान्चे मात्र) की वसूली एवं एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है।

3. चंबल दाहिनी मुख्य नहर के पुनरुद्धार कार्यों में अनियमितताओं के संबंध में संस्थित विभागीय जांच प्रकरण क्रमांक एफ 16-08/2011/पी-2/31 दि. 21.03.2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9 के अन्तर्गत श्री सत्यार्थी को देय पेंशन राशि में से 50 प्रतिशत राशि स्थायी रूप से वापिस ली जाने की शास्ति अधिरोपित करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में उक्त पैरा-2 एवं पैरा-3 में उल्लेखित राशि की वसूली श्री सत्यार्थी, सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री को देय स्वत्वों से किये जाने की शर्त के आधार पर श्री एम.पी.सत्यार्थी, सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री के पक्ष में न मांग न जांच प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(प्रमोद कुमार खरे)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

भोपाल, दिनांक 22.07.2020

क्रमांक 19-01/2013/पी-1/इकतीस  
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, भोपाल/ग्वालियर, म.प्र.।
2. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री.....
3. श्री एम.पी.सत्यार्थी, सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री द्वारा- कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसीनगर, भोपाल की ओर प्रेषित। कृपया श्री सत्यार्थी को सम्बोधित प्रति सेवानिवृत्ति उपरांत उनके वर्तमान पत्र व्यवहार के पते पर निर्वहित कराये जाने हेतु।
4. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी.....
5. वेब मैनेजर डाटा सेंटर कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय बेवसाईट में प्रविष्टि हेतु।

अवर सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग